राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0 264/2023 | तारीख रजू 21.08.2023 | अंतिम निर्णय दिनांक 28.5.24

उनवान:

1. वाई.आर. नीलम पत्नी राजकुमार जाति बौद्ध निवासी 8014 सैक्टर–डी,पोकेट–8 बसन्त कुन्ज नई दिल्ली।
2. बिमला देवी पत्नी महावीर पसाद जाति चमार निवासी 357 सैक्टर–12 आर.के. पूरम नई दिल्ली ।

...........वादीगण

बनाम

1. रोहिताश सिंह पुत्र सोहनलाल जाति अहीर निवासी खण्डोडा तहसील बावल जिला रेवाडी हरि0
2. उप पंजीयक नीमराना
3. श्रीमान् लैण्ड होल्डर जरिय तहसीलदार साहब, नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

....प्रतिवादीगण

दावा दुरूस्ती इन्द्राजा,तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी ।

उपस्थिति :–

1. श्री सतीश कुमार यादव एड0 वादीगण की ओर से
2. श्री नोपेन्द्र कुमार शर्मा प्रतिवादी सं0 1 की ओर से

## ।। निर्णय ।।

आज यह पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1916 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम गूगलकोटा तह0 नीमराना मे स्थित है जिसके वादीया सं0 1 हिस्सा–1/4 की व वादीया सं0 2 हिस्सा –1/4 की ता प्रतिवादी सं0 1 हिस्सा–1/2 की खातेदार है। इस प्रकार वादीयागण व प्रतिवादी सं0 1 के बीच उक्त आराजी सहखातेदारी मे दर्ज है। उक्त आराजी सहखातेदारी की होने के कारण आराजी मुतनाजा का तब तक विधिवत रूप से तकासामा नही हो जावे तब तक किसी भी खातेदार को आराजी मुतनाजा के किसी भी हिस्से को अपना बताकर दिगर जगह मुन्तकिल करने का कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादी सं0 1 आराजी का मुतनाजा का बिना विधिवत रूप से तकासमा करवाये अच्छी से अच्छी आराजी को अपनी बताकर दिगर जगह मुन्तकिल करने पर उतारू हो रहा है। दिनांक 25.05.2023 को प्रतिवादी को आराजी मुतनाजा का बिना विधिवत रूप से तकासामा करवाये दिगर जगह मुन्तकिल करने से मना किया तो प्रतिवादी सं0 1 ने धमकी दी कि आराजी मुतनाजा का बिना तकासमा करवाये ही अच्छी से अच्छी आराजी को अपनी बताकर दिगर जगह मुन्तकिल करूगां। वादिया का असल नाम वाई.आर. नीलम पत्नी राजकुमार जाति बौद्ध है परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा गलती से मिन वादीया सं0 1 की जाति जैन गलत दर्ज कर दी गई। आराजी मुतनाजा अब सामूहिक रूप से काश्त किया जाना सम्भव नही होने के कारण आराजी मुतनाजा का कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर विधिवत रूप से तकासामा किया जावे एवं मिन वादीया सं0 1 की गलत जाति जैन को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर बोद्ध दर्ज किया जाने बाबत यह दावा तकसीम आराजी एवं दुरूस्ती इन्द्राजात व हुक्म ईम्तनाई का पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब करने का आदेश दिया गया। बाद तामिल प्रतिवादी सं0 1 की ओर से श्री नोपेन्द्र शर्मा ने वकालतनामा पेश किया गया तथा प्रतिवादी सं0 2 व 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। वकील प्रतिवादी सं0 1 ने जबाब दवा पेश किया गया तथा प्रतिवादी सं0 2 व 3 की ओर से पैरोकार सरकार को बार–बार असवर दिये जाने पर भी जबाब दावा पेश नही करने पर उनका जबाब बन्द किया गया ।

वकील वादी द्वारा अपने दावा के तथ्यो के मुताबिक वादी वादी प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाने की प्रार्थना की गई तथा वकील प्रतिवादी सं0 1 आराजी मुतनाजा का मौके पर पुर्व के खातेदारो द्वारा विभाजन किया गया था उसके मुताबिक ही वादीयागण व प्रतिवादी ने आराजी मुतनाजा खरीद की है और जिस खातेदार का जिस भाग पर कब्जा था वहा पर कब्जा दिया गया है। प्रतिवादी का आराजी मुतनाजा के तरफ उत्तर मे कब्जा है तथा वादीयागण का तरफ दक्षिण मे कब्जा काश्त है इसी अनुसार मौका की रिपोर्ट मंगवाई जाकर आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से विभाजन किया जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। दावा के साथ संलग्न जमाबन्दी के मुताबिक वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 की सहखातेदारी की आराजी है। जिस आराजी को तकसीम करवाने बाबत यह दावा पेश किया गया। लेकिन वादग्रस्त भूमि के बंटवारा को लेकर दोनो पक्षो मे विरोधाभाष है। इसलिए वाद वादीयागण दिनांक 09.04.2024 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर,तहसीलदार नीमराना को आदेशित किया गया कि उभय पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तो संबंधि राजस्व भाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2024 को दृष्टिगत रखते हुऐ विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय मे भिजवाई जावे।

तहसीलदार नीमराना द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 09.04.2024 की पालना मे वादग्रस्त खसरा नम्बर 1916 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम गूगलकोटा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 की कुर्रे रिपोर्ट मय नक्शा दिनांक 21.05.2024 को तैयार करवाकर इस न्यायालय मे दिनांक 29.10.2024 को पेश की गई । तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश उक्त कुर्रे रिपोर्ट के विरूद्ध किसी भी खातेदार/पक्षकार द्वारा आपत्ति पेश नही की गई। तहसीलदार द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। कुर्रे रिपोर्ट मे वादीया सं0 1 की जाति बौद्ध दर्ज की गई है इसलिए कुर्रे रिर्पोट राजस्व रिकार्ड के मुताबिक सही प्रतीत होने पर वादी का वाद कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

**।। आदेश ।।**

अतः वाद वादीगण तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 21.05.2024 के मुताबिक डिक्री किया जाता है कि :–

| क्र.सं. | खातेदार का नाम | ख.नं. | रकबा हैक्टर |
|---|---|---|---|
| 1. | बिमला देवी पत्नी महावीर प्रसाद हि0–1/2 जाति चमार सा0 357 सैक्टर–12 आर.के. पुरम नई दिल्ली खातेदार | 1916/1 | 0.2650 |
| 2. | वाई.आर. नीलम पत्नी राजकुमार हि0 1/2 जाति बौद्ध सा0 8014 सैक्टर डी पोकेट–8 बसन्त गुन्ज नई दिल्ली खातेदार | कुलकिता–1 कुल रकबा 0.2650 है0 | |

| क्र.सं. | खातेदार का नाम | ख.नं. | रकबा हैक्टर |
|---|---|---|---|
| 1. | रोहताशसिंह पुत्र सोहनलाल हि0 सम्पूर्ण जाति अहीर सा0 खण्डोडा तहसील बावल जिला रेवाडी हरि0 खातेदार | 1916/2 | 0.2650 |
| | | कुलकिता–1 कुल रकबा 0.2650 है0 | |

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्मा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 28.5.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

।। पर्चा डिक्री।।

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)**

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

| राजस्व वाद सं0 | तारीख रजू | अंतिम निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 264 / 2023 | 21.08.2023 | 28.5.25 |

उनवानः

1. वाई.आर. नीलम पत्नी राजकुमार जाति बौद्ध निवासी 8014 सैक्टर–डी,पोकेट–8 बसन्त कुन्ज नई दिल्ली।
2. बिमला देवी पत्नी महावीर पसाद जाति चमार निवासी 357 सैक्टर–12 आर.के. पूरम नई दिल्ली ।

...........वादीगण

बनाम

1. रोहिताश सिंह पुत्र सोहनलाल जाति अहीर निवासी खण्डोडा तहसील बावल जिला रेवाडी हरि0
2. उप पंजीयक नीमराना
3. श्रीमान् लैण्ड होल्डर जरिय तहसीलदार साहब, नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

....प्रतिवादीगण

दावा दुरूस्ती इन्द्राजा,तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी ।

उपस्थिति :–

1. श्री सतीश कुमार यादव एड0 वादीगण की ओर से
2. श्री नोपेन्द्र कुमार शर्मा एड0 प्रतिवादी सं0 1 की ओर से

**।। आदेश ।।**

अतः वाद वादीगण तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 21.05.2024 के मुताबिक डिक्री किया जाता है कि :–

| क्र.सं. | खातेदार का नाम | ख.नं. | रकबा हैक्टर |
|---|---|---|---|
| 1. | बिमला देवी पत्नी महावीर प्रसाद हि0–1/2 जाति चमार सा0 357 सैक्टर–12 आर.के. पुरम नई दिल्ली खातेदार | 1916/1 | 0.2650 |
| 2. | वाई.आर. नीलम पत्नी राजकुमार हि0 1/2 जाति बौद्ध सा0 8014 सैक्टर डी पोकेट–8 वसन्त मुन्ज नई दिल्ली खातेदार | कुलकिता–1 कुल रकबा 0.2650 है0 | |

| क्र.सं. | खातेदार का नाम | ख.नं. | रकबा हैक्टर |
|---|---|---|---|
| 1. | रोहताशसिंह पुत्र सोहनलाल हि0 सम्पूर्ण जाति अहीर सा0 खण्डोडा तहसील बावल जिला रेवाडी हरि0 खातेदार | 1916/2 | 0.2650 |
| | | कुलकिता–1 कुल रकबा 0.2650 है0 | |

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28-5-25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)